

सोखो घटवालिन द्वारा 1.20 एकड़ जमीन खंडित कर जोत आबाद किया जा रहा है। उनके द्वारा मौजा के प्रधान से भी बन्दोबस्ती का अनुरोध किया गया। प्रधान द्वारा उन्हें विश्वास दिलाया गया कि आवेदकों को उक्त जमीन का पट्टा बन्दोबस्ती दी जायेगी किन्तु आवेदकों को बाद में मालूम हुआ कि उक्त जमीन की बन्दोबस्ती विपक्षियों के साथ निम्न न्यायालय द्वारा की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्षीगण धनी एवं नौकरी पेशा वाले हैं। आवेदकों द्वारा दाखिल पर्चा के अनुसार वर्तमान सर्वे पर्चा खाता नं० 40 में विपक्षियों का 14.03 एकड़ जमीन है। ऐसी स्थिति में उनके साथ की गई बन्दोबस्ती न्यायसंगत नहीं है। आवेदकों द्वारा निम्न न्यायालय में पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में दाखिल आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षियों द्वारा मात्र दाग सं० 166 में रकवा 50 डीसमल एवं 02 एकड़ जमीन दखल का जिक्र किया है एवं बन्दोबस्ती आवेदन दिया गया है। किन्तु अंचल अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में दाग सं० 122 में 7.00 (सात) एकड़ एवं दाग सं० 166 में 2.00 (दो) एकड़ जमीन की बन्दोबस्ती का अनुशंसा किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा भी विपक्षियों द्वारा दायर आवेदन को गौर किये बिना ही अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन को स्वीकृत किया गया। अभिलेख में उपलब्ध 16/- रैयतों पर निर्गत नोटिस का तामिला के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के 16/- रैयतों को भी मात्र दाग सं० 166 में बन्दोबस्ती संबंधी नोटिस निर्गत किया गया है। यह नोटिस भी 16/- रैयतों को नियमानुसार ढोल सोहरत के साथ विधिवत तामिला नहीं किया गया है।

आवेदक द्वारा दाखिल अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे०मि० वाद सं० 119/14-15, सीताराम मुर्मू प्रधान बनान् जीवन सोरेन एवं अन्य में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2015 में अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर उल्लेख किया गया है कि दाग सं० 122 में 80 डीसमल एवं 1.77 डीसमल में देवी हांसदा एवं सभी फलिकानों का तथा 1.20 डीसमल पर नकूल हांसदा तथा सभी फलिकानों का दखल बताया गया है। उसी प्रकार दाग सं० 166 एवं 164 में रकवा 2.19 डीसमल एवं 44 डीसमल पर रामेश्वर मड़ैया, गोवर्धन मड़ैया वो भोला मड़ैया वो जोगेन्दर मड़ैया द्वारा जोत आबाद किया जा रहा है, का जिक्र है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रधान को निदेश दिया गया है कि विपक्षियों अर्थात् दखलकारियों के साथ बन्दोबस्ती के दिशा में सं०प० काश्तकारी अधिनियम के धारा 27 एवं 28 में उल्लेखित नियमों का अनुपालन कर बन्दोबस्ती के दिशा में पट्टा निर्गत करने की कार्यवाही करेंगे किन्तु प्रधान द्वारा अबतक इसका अनुपालन नहीं किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विपक्षियों ने दाग सं० 166 में मात्र 50 डीसमल एवं 02 एकड़ की जमीन की बन्दोबस्ती

B

4

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिविजन वाद सं0- 07/2011-12
एवं

रे0मि0 रिविजन वाद सं0- 11/2011-12

रामेश्वर मड़ैया/देवीन हांसदा एवं अन्य आवेदक
बनाम

सनाथ मुर्मू एवं अन्य विपक्षी

॥ आदेश ॥

22/04/2016

यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 07/2011-12 रामेश्वर मड़ैया एवं अन्य बनाम सनाथ मुर्मू तथा रे0मि0 रिविजन वाद सं0 11/2011-12 देवीन हांसदा एवं अन्य बनाम सनाथ मुर्मू के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0 आर0 वाद सं0 156/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2009 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैंने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। फलतः उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

रे0मि0 रिविजन वाद सं0 07/2011-12 के आवेदकगण रामेश्वर मड़ैया एवं अन्य के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा बरहेट के दाग सं0 166 एवं 164 रकवा 2.19 डीसमल एवं 40 एकड़ जमीन खतियान में परती कदीम बोलकर दर्ज है जो आवेदक के जमाबन्दी दाग सं0 160, 163, 165, 169, 210, 211 एवं 212 से घिरे हुए है। आवेदकों द्वारा उक्त जमीन को खंडित कर जोत आबाद किया जा रहा है। उन्होंने उक्त दाग की बन्दोबस्ती हेतु निम्न न्यायालय में एस0आर0 वाद सं0 53/09-10 दायर किया गया जिसमें निम्न न्यायालय में आवेदकों को प्रधान से बन्दोबस्ती प्राप्त करने हेतु आदेश दिया गया। किन्तु मौजा के प्रधान द्वारा उनके साथ उक्त जमीन की बन्दोबस्ती नहीं किया गया। तत्पश्चात ज्ञात हुआ कि उक्त जमीन को एस0आर0 वाद सं0 156/2006-07 में विपक्षियों के साथ बन्दोबस्ती किया गया है। उन्होंने बहस के दौरान यह भी कहा है कि विपक्षियों द्वारा 02 एकड़ जमीन की बन्दोबस्ती का आवेदन दिया है परन्तु उन्हें 09 एकड़ जमीन की बन्दोबस्ती दिया गया है जिसमें आवेदकों एवं अन्य लोगों द्वारा दखल की गई जमीन को भी बन्दोबस्ती कर दी गई है जो न्यायसंगत नहीं है।


उसी प्रकार रे0मि0 रिविजन वाद सं0 11/2011-12 के आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि मौजा के दाग सं0 122 रकवा 40 एकड़ एवं दाग सं0 166 रकवा 2.19 एकड़ परती कदीम बोलकर खतियान में दर्ज है। आवेदक प्रथम पक्ष देवीन हेम्रम एवं अन्य द्वारा दाग सं0 122 में 2.20 एकड़ तथा आवेदक द्वितीय पक्ष


B

हेतु आवेदन दाखिल किया गया था किन्तु अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आधार पर उनके साथ दाग सं० 122 में रकवा 7.00 (सात) एकड़ एवं दाग सं० 166 में रकवा 2.00 (दो) एकड़ जमीन की बन्दोबस्ती की स्वीकृति दी गई है। जो न्यायसंगत नहीं है। साथ ही रे०मि० वाद सं० 119/2014-15 में पारित आदेश के अनुसार उक्त जमीन पर आवेदकों का दखल है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षियों द्वारा उक्त जमीन को पाँच वर्ष बीत जाने के पश्चात भी खंडित नहीं किया गया है जो सं०प० काश्तकारी अधिनियम के धारा 33 के अन्तर्गत बन्दोबस्ती रद्द करने योग्य है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विपक्षियों के साथ की गई बन्दोबस्ती को रद्द किया जाता है। मौजा के प्रधान को आदेश दिया जाता है कि रे०मि० वाद सं० 119/2014-15 में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2015 का अनुपालन 30 दिनों के अन्दर करें तथा इसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को दें।

यह आदेश रे०मि० रिविजन वाद सं० 11/2011-12 में भी लागू माना जायेगा।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त
दुमका।


उपायुक्त
दुमका।

Noted